न्याया० उपखण्ड अधिकारी NKT
महेशकुमार बनाम राज

प्रपत्र 136
134/2022

4/10/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। बावजूद तामिल अनु० रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी के हाल खाता संख्या 1512 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रमेश गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम महेश है। राजसव कार्मिको ने सहवन से महेश के स्थान पर रमेश अंकित कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं की बैंक खाता पास बुक, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी का नाम महेश अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य गवाह नवल किशोर, गोकुल का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **रमेश पुत्र हनुमान** गलत दर्ज है। जबकि सहीं प्रविष्टी **महेश पुत्र हनुमान** की पुष्टि बैंक खाता पास बुक, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड से होती है। साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि गवाह नवल किशोर, गोकुल के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
पीथमपुरी	खाता संख्या 1512	रमेश पुत्र हनुमान	महेश पुत्र हनुमान

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)